

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान धर्मपाल आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 127/2025

निर्णय दिनांक 05/08/25

1. धर्मपाल पुत्र शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
2. सुभाष चन्द्र पुत्र शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
3. रमेश पुत्र शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
4. लालचन्द पुत्र शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
5. विद्यादेवी पत्नी शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

बनाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

अप्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1193 के खसरा सं. 2789/670 तादादी 4.3625 हैक्ट., ख.नं. 2790/1325 खसराजात की जमाबंदी में इंतकाल के समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीया संख्या 5 के पति का नाम गोरीशंकर दर्ज हो गया, जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम शंकर लाल है। प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थीगण का कथन है कि पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम शंकर लाल है। प्रार्थीगण ने जमाबंदी में पिता व पति का नाम गोरीशंकर के स्थान पर शंकर लाल करवाने का निवेदन किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1193 के खसरा सं. 2789/670 तादादी 4.3625 हैक्ट., ख.नं. 2790/1325 तादादी 0.0885 हैक्ट कुल तादादी 4.4510 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम व पति का नाम शंकर लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गोरीशंकर व शंकर लाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण से प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम शंकर लाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गोरीशंकर अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1193 के खसरा सं. 2789/670 तादादी 4.3625 हैक्ट., ख.नं. 2790/1325 तादादी 0.0885 हैक्ट कुल तादादी 4.4510 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गोरीशंकर Delete कर इसके स्थान पर शंकर लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)